

प्रपत्र-श'

अग्नि अंकेक्षण के चेक बिन्दु एवं अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित वांछित कार्रवाई हेतु नोटिस ।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-23 एवं 43 (2)(3) के अधीन
बिहार अग्निशमन नियमावली, 2021 के नियम 22(ख)(ग)(घ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत)

1. भवन का नाम/पता/पहचान हेतु कोई खास चिन्हित भवन:- कैम्पस पब्लिक स्कूल, डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय हार्सि विद्यापीठ, पुसा, समस्तीपुर
2. भवन निर्माण वर्ष :- 1986 ई०
3. अनापत्ति प्रमाण पत्र (औपबंधिक/अंतिम/नवीकरण का वर्ष) :- नहीं
4. विगत अग्नि अंकेक्षण की तिथि :- नहीं
5. भवन अधिभोग का प्रकार :- शिक्षण संस्वात के रूप में
6. उप कब्जे (Sub-occupancy) के प्रकार :- शिक्षण संस्वात
7. जमीन के स्तर से भवन की उँचाई(मीटर में) :- 7 मीटर से नीचे
8. भवन के परिवेश में निर्माण की उँचाई :- 8 फीट
9. बिजली लाईन्स से भवन की दूरी (खड़ा एवं क्षैतिज दूरी-मीटर में) :- 5 मीटर
10. भवन का आच्छादित क्षेत्र (वर्ग मीटर में) :- 1324 वर्ग मीटर
(तलघर और स्टील सहित सभी मंजिलों का)
11. मंजिलों की संख्या :- 6+1 / 2A305
12. तलघट की संख्या :- नहीं
13. स्टील/भुतल की संख्या :- एक
14. ब्लॉक की संख्या :- दो
15. प्रति मंजिल औसत प्रवासी भार :- शिक्षण 18 एवं छात्र-छात्राओं मिलकर 315 = 383
16. मंजिल वार(क्षेत्रफल/अधिवासियों की संख्या) :- 167
17. पहुँच सड़क/स्ट्रीट (नाम एवं चौड़ाई) :- डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय हार्सि विद्यापीठ, पुसा
(पहुँच सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 फीट/20 फीट होनी चाहिए) 315 समस्तीपुर चौड़ाई 40/50 फीट
18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चालन योग्य है ? हाँ
19. क्या मृत अंत (Dead end) में समाप्त हो रहा है ? नहीं
20. पहुँच/खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरफ सेट बैंक की चौड़ाई :- चारों तरफ पर्याप्त जगह है
21. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घूमने के लिए वाहन का पहुँच :- हाँ
22. क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वार की न्यूनतम चौड़ाई एवं उँचाई है ? हाँ
23. कार पार्किंग (स्थल एवं वाहनों की संख्या) :- हाँ
24. खुले स्थान में प्रोजेक्शन (भवन से चारों तरफ दूरी) :- पर्याप्त
25. प्रवेश द्वार की संख्या :- दो
26. निकासी द्वार की संख्या :- दो
27. प्रवेश/निकासी द्वार में सिर के तरफ खुला स्थान :- पर्याप्त
28. आंतरिक सीढ़ी (संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/साईजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई) :- 2 सीढ़ी 1.25 मीटर, 21 ईन्च 17cm हैंड रेल 100cm
29. बाहरी सीढ़ी की संख्या (संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/साईजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई) :- 2 सीढ़ी 1.25 मीटर, 21 ईन्च 17cm हैंड रेल 100cm
30. यात्रा दूरी (सबसे दूर के स्थान से दूरी/गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दूरी) :- 20 मीटर
31. रैम्प (संख्या/चौड़ाई/स्टीप) :- नहीं
32. यात्री लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं
33. सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं
34. फायर लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं
35. शरण क्षेत्र (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल) :- नहीं
36. फायर टॉवर (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल) :- नहीं
37. बंद उर्ध्वाधर खुला स्थान :- हाँ
38. कोरिडोर और मार्ग वांछित चौड़ाई के अनुसार/रास्ता वाधित नहीं :- हाँ
39. क्षैतिज निकास की स्थिति :- हाँ

40. निकासी हेतु रौशनीकरण निकासी संकेत :- हैं
 41. तलघर में छत दूरी/जाने का रास्ता/वेन्टलेशन/इत्यादि :- नहीं
 42. फायर रेटिंग संबंधी कागजात :- नहीं
 43. कम्पार्टमेंटलाईजेशन :- नहीं
 44. धुआँ निकासी व्यवस्था :- नहीं हैं
 45. विद्युत अधिष्ठापन :- विजली के पैनल
 46. सब-स्टेशन/ट्रांसफार्मर :- नहीं
 47. बिजली आपूर्ति के बैकल्पिक स्रोत :- जरनेटर/इन्वर्टर
 48. एयर कंडीशनिंग सिस्टम :- नहीं
 49. आसमानी बिजली से संरक्षण के प्रावधान :- नहीं
 50. न्यूनतम फिक्सड फायर फाइटिंग अधिष्ठापन(NBC-2016 का भाग-4 का तालिका-7 के अनुसार) :- नहीं
 51. स्वचालित जांच और अलार्म सिस्टम (धूम्र संसुचक, हीट डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, मंजिल में अग्नि संसुचक नियंत्रण पैनल) :- नहीं
 52. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम :- नहीं
 53. नली रील :- नहीं
 54. वेट राईजर्स :- नहीं
 55. सूखी राईजर्स :- नहीं
 56. डाउन कमर :- नहीं
 57. यार्ड हाइड्रेंट :- नहीं
 58. भूमिगत स्टैटिक जल टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर) :- नहीं
 59. छत टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर) :- 10000 x 4 = 40000 लीटर जेनरल उपयोग के लिए
 60. पम्पों की विवरणी-इलेक्ट्रिकल मुख्य पम्प/स्टैंडबाय डीजल पम्प/छिड़काव प्रणाली के लिए विद्युत पम्प/बूस्टर पम्प (संख्या एवं क्षमता प्रति मिनट) :- नहीं

61. पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र (प्रत्येक प्रकार की संख्या/क्षमता/गुणवत्ता/मैंक/क्रमांक/एक्सप्लोसिव नं०/विनिर्माण का वर्ष/खरीद का वर्ष/आईएस आई का मार्क/रिफिलिंग की तिथि) :- ABC Type fire extn. 5.5kg & CO2 Type fire extn. 4.5kg
 62. अग्नि नियंत्रण कक्ष :- नहीं
 63. फायर ड्रील और फायर आर्डर (भवन खाली करने की आपातकालीन योजना सहित) :- नहीं
 64. अग्नि सुरक्षा अधिकारी :- नहीं
 65. अन्य बिन्दु-प्रपत्र-ग/झ के आधार पर शामिल किया जा सकता है।

भाज दिनांक 05/06/2023 को कृष्ण कुमार (याचार्थ) के उपस्थिति में इनके आवेदन के आधार पर अग्नि संरक्षण की गई अग्नि संरक्षण के दौरान अचूकता से 1324 वर्ग मीटर में अधिष्ठापित अग्निशमन यंत्र सही एवं क्रियाशील अवस्था में पाई गई।

मंतव्य:- (1) वर्ष में एक बार अधिष्ठापित अग्निशमन यंत्रों का अग्निशमन विभाग से जांच करना आवश्यक होगा।

(2) वर्ष में एक मौक़ द्विज कराना आवश्यक होगा।

(3) इस भवन अधिष्ठापित अग्निशमन यंत्रों को ससमय देख-रेख करते रहना होगा।

(4) NBC पार्ट-4, 2016 के तालिका 7 के आईड लाइन के अनुसार इस भवन में अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण का ली गई है इसे अग्नि संरक्षण प्रमाण पर किया जा सकता है।

Singh
 05/06/2023